[2018] 1 एससीआर 1023

ऋत्विक एनर्जी जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

बनाम

बंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड एवं ओ.आर.एस. वगैरह।

(2015 की सिविल अपील संख्या 5084-5085)0

फ़रवरी 06 2018

[आर। . नरीमन और नवीन सिन्हा, जे.जे.]

बिजली: ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत आपूर्ति - अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर एक के बीच पीपीए - राज्य आयोग ने पीपीए को मंजूरी नहीं दी और उसे वापस कर दिया - अपीलकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष ओपी दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि उनके बीच कोई वैध पीपीए मौजूद नहीं है - राज्य आयोग ने खारिज कर दिया ओपी - अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील - अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या एल को दिनांक 5.5.2011 को पत्र भेजा जिसमें बिजली बिल और ब्याज के भुगतान में चूक और क्रेडिट पत्र खोलने में चूक और बिजली बेचने की अनुमति मांगने का उल्लेख किया गया था। तीसरे पक्ष को - इस बीच अपीलकर्ता ने अपील के निर्णय के लिए बाद की घटनाओं को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की - अपीलीय न्यायाधिकरण ने गुण-दोष के आधार पर बाद की घटनाओं की जांच की और अंततः अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि डिफ़ॉल्ट को ठीक करने के लिए कोई नोटिस या समाप्ति नोटिस अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर पर नहीं भेजा गया था। - 11.5.2012 को, अपीलकर्ता ने समाप्ति का नोटिस भेजा - प्रतिवादी नंबर 1 ने कुछ भुगतान किए और क्रेडिट पत्र भी खोला और उसके बाद राज्य आयोग के समक्ष ओपी दायर कर यह घोषित करने की मांग की कि अपीलकर्ता द्वारा पीपीए की समाप्ति अमान्य थी - 9.5.2013 को, केंद्रीय आयोग ने अपीलकर्ता को दिनांक 11.05.2012 को समाप्ति नोटिस के बाद पीपीए के निर्वाह या अन्यथा के संबंध में विवाद के निर्णय के लिए राज्य आयोग से संपर्क करने के लिए कहा - प्रतिवादी द्वारा ओपी को राज्य आयोग द्वारा दिनांक 17.3.2017 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, इस आधार पर कि नोटिस दिनांक 5.5.2011 एक डिफ़ॉल्ट नोटिस नहीं था और इसलिए 5.5.2011 के नोटिस के आधार पर समाप्ति की बाद की सूचना को कानून में वैध नहीं कहा जा सकता है - अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 9.5.2013 और 17.3.2017 के आदेश के खिलाफ दायर अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया - तत्काल में अपील, अपीलकर्ता की दलील अन्य बातों के साथ-साथ यह थी कि अपीलीय

न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 5.5.2011 के पत्र के आधार पर निष्कर्ष सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दे पर नहीं था, लेकिन केवल संपार्श्विक होने के कारण इसे न्यायिक नहीं कहा जा सकता था - माना गया: इसमें कोई संदेह नहीं है अपीलकर्ता ने स्वयं अपीलीय न्यायाधिकरण को एक आगामी कार्यक्रम में जाने के लिए आमंत्रित किया, जो उसके अनुसार, अपील पर निर्णय लेने में अत्यधिक महत्वपूर्ण था - यह मामला है, प्रतियोगिता के बाद, और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद इस तरह की बाद की घटना वास्तव में महत्वपूर्ण थी और ट्रिब्यूनल द्वारा तय की जाएगी, और फिर गुण-दोष के आधार पर जो निष्कर्ष पाया गया, वह इसके खिलाफ था, अपीलकर्ता को अब बहस करने का प्रयास करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया गया था क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था अपीलकर्ता के अनुसार बाद की घटनाओं को, कानून के मामले के रूप में, केवल एक संपार्श्विक मुद्दा माना जाना चाहिए और इसलिए, न्यायिक नहीं - पीपीए के पढ़ने से पता चला है कि डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर, एक डिफ़ॉल्ट नोटिस दिया जा सकता है नोटिस को जन्म देने वाली डिफ़ॉल्ट की घटना को उचित विवरण में निर्दिष्ट करने के लिए निगम को लिखित रूप में, और डिफ़ॉल्ट नोटिस की डिलीवरी से 30 दिनों की अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए प्रतिवादी संख्या को बुलाना, जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों - ऐसा तभी होता है जब कंपनी निगम को समाप्ति नोटिस दे सकती है - दिनांक 05.05.2011 के पत्र में केवल डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के बारे में बात की गई थी, लेकिन निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसे ठीक करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को नहीं बुलाया गया था - इस प्रकार कोई नहीं था पीपीए के खंड 9.3.2 का पर्याप्त अनुपालन - अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले में किसी भी स्तर पर गलती नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना: 1. एक बार जब कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी भी पक्ष के आदेश पर बाद की घटना पर गौर करने का निर्णय लेता है, तो न्यायालय स्वयं सोचता है कि ऐसा करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा वह ऐसी बाद की घटना पर गौर नहीं करेगा। जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से देखा गया है, अपीलकर्ता ने न केवल बाद की घटना को अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से विचाराधीन माना, जिसका संयोगवश इस आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा विरोध नहीं किया गया था, बल्कि इस आधार पर कि यह लाया जाएगा अपील के चरण में एक नए मुद्दे में, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी नंबर 1 की याचिका को खारिज कर दिया है, और बाद की घटनाओं की जांच की है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्वयं अपने द्वारा उठाए गए मुद्दे संख्या 3 पर विचार किया है, इसके संज्ञान में लाई गई बाद की घटनाओं के आधार पर, सीधे और

तत्काल मुद्दे के रूप में। इसलिए, इस आधार पर भी, अपीलकर्ता को ऐसी याचिका दायर करने से कानूनन रोके जाने के अलावा, याचिका के पास टिकने के लिए कोई आधार नहीं है। [पैरा 13, 15]

2. पीपीए के खंड 9.3.2 को पढ़ने से पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट की कोई घटना होने पर, निगम को लिखित रूप में एक डिफ़ॉल्ट नोटिस भेजा जा सकता है। उक्त नोटिस की आवश्यकताएं दो गुना हैं - (1) नोटिस को जन्म देने वाली डिफ़ॉल्ट की घटना को उचित विवरण में निर्दिष्ट करना, और (2) प्रतिवादी नंबर 1 को 30 दिनों की अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए कहना। डिफ़ॉल्ट नोटिस की डिलीवरी, जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों। केवल तभी कंपनी निगम को समाप्ति नोटिस दे सकती है। पत्र दिनांक 05.05.2011 ने केवल डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के बारे में बात की, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए नहीं कहा। अपीलकर्ता के अनुसार, यह किसी भी स्थिति में उक्त खंड का पर्याप्त अनुपालन था। खंड 9.3.2 के दोनों भाग महत्वपूर्ण हैं - एक डिफ़ॉल्ट की घटना को उचित विवरण में निर्दिष्ट करता है और दूसरा, प्रतिवादी नंबर 1 को 30 दिनों की अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए कहता है। पार्टियां अन्यथा सहमत हो सकती हैं, जिस स्थिति में प्रतिवादी नंबर 1 नोटिस में उल्लिखित डिफ़ॉल्ट को निर्धारित 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में सुधार सकता है, यह दर्शाता है कि पार्टियों ने माना कि खंड 9.3.2 का यह हिस्सा इस प्रकार है पहले भाग के रूप में महत्वपूर्ण है, अन्यथा, एक समाप्ति नोटिस, खंड 9.3.2 का दूसरा भाग बिना किसी और अधिक के सीधे जारी किया जा सकता है। यह मामला होने पर, यह प्रस्तुत करना कि पीपीए के खंड 9.3.2 का पर्याप्त अनुपालन किया गया है, तर्कसंगत नहीं है। [पैरा 16, 17, 21]

> *पसुपुलेटि वेंकटेश्वरलु बनाम द मोटर एंड जनरल ट्रेडर्स* **[1975] 3 एससीआर 958;** *सज्जादानशीं सैयद मोहम्मद बीई ईडीआर (डी) एलआर द्वारा। वी. मूसा दादाभाई उमर और अन्य* **(2000) 3 एससीसी 350: [2000] 1 एससीआर 1095 - पर भरोसा किया गया।**
>
> *नानी गोपाल विश्वास बनाम हावड़ा नगर पालिका* **[1958] एससीआर 774;** *ठाकुर प्रताप सिंह बनाम श्री कृष्ण गुप्ता और अन्य* **[1955] 2 एससीआर 1029 - प्रतिष्ठित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1975] 3 एससीआर 958	**पैरा 13**	**पर निर्भर था**
[2000] 1 एससीआर 1095	**पैरा 14**	**पर निर्भर था**

[1958] एससीआर 774 विशिष्ट पैरा 19

[1955] 2 एससीआर 1029 विशिष्ट पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील संख्या 5084-5085।

2013 की अपील संख्या 170 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 11.03.2015 से।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, मिश्रा सौरभ, वीवीएस मूर्ति, अंकित कृ. लाल, सुश्री वंशजा शुक्ला, अनंत गौतम, अनुभव रे, मंथा श्रीनिवास, अपीलकर्ता के वकील।

सुश्री प्रतीक्षा मिश्रा, बालाजी श्रीनिवासन, अभिषेक भारती, सुश्री वैष्णवी सुब्रमण्यम, निखिल नैय्यर, एन. साई विनोद, सुश्री स्मृति शाह, दिव्यांशु राय, तुषार बख्शी, प्रतिवादियों के वकील।

न्यायालय का निर्णय **आरएफ नरीमन, जे.** दवारा सुनाया गया

1. वर्तमान अपील अपीलकर्ता - एक उत्पादन कंपनी द्वारा दायर की गई है, जिसने कर्नाटक सरकार के साथ 24.75 मेगावाट मिनी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए दिनांक 26.09.2006 को एक समझौता ई में प्रवेश किया था। कामताका में कुछ जिला। 03.05.2007 को, अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 ने एक बिजली खरीद समझौते (संक्षेप में 'पीपीए') पर हस्ताक्षर किए। पीपीए के खंडों के अनुसरण में, प्रतिवादी नंबर 1 ने पीपीए को अनुमोदन के लिए राज्य आयोग को भेजा। 06.06.2007 को, राज्य आयोग ने पीपीए को अपनी मंजूरी नहीं दी और इसे इस आधार पर वापस कर दिया कि 2004 के कर्नाटक विनियमों के तहत प्रतिवादी नंबर 1 का 10% कोटा पहले ही अन्य स्रोतों से समाप्त हो चुका था।

2. इस बीच, 26.07.2008 को, अपीलकर्ता ने बिजली की बिक्री के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक और पीपीए में प्रवेश किया और बिजली अधिनियम के ओपन एक्सेस प्रावधानों के तहत पीटीसी को आपूर्ति के लिए आयोग की मंजूरी मांगी। 31.08.2009 को, अपीलकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष 2009 का ओपी नंबर 29 दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच कोई वैध पीपीए मौजूद नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के लिए दूसरे में प्रवेश करना खुला था। पीपीए और ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत बिजली की आपूर्ति।

3.0एन 23.12.2010, राज्य आयोग ने अपीलकर्ताओं के ओपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीपीए की वापसी अस्वीकृति के बराबर नहीं है, और इसलिए मंजूरी न देने से

पार्टियों के बीच पीपीए अमान्य नहीं हुआ। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसके लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 05.05.2011 को एक पत्र भेजा गया था। जैसा कि इस पत्र के प्रभाव पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, प्रासंगिक पैराग्राफ यहां नीचे दिए गए हैं: -

पत्र "पूर्वाग्रह के बिना" से शुरू होता है और इसका विषय है - "तीसरे पक्ष को बिजली बेचने की अनुमति"। इसके बाद पत्र में कहा गया है कि इस धारणा पर कि पीपीए वैध है, जो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 के ध्यान में प्रतिवादी संख्या द्वारा किए गए दायित्वों में तीन विशिष्ट चूक लाना चाहता है। पीपीए के तहत 1. जमा करने के 15 दिनों के भीतर बिजली बिलों का भुगतान करने में चूक से संबंधित चूक; ब्याज के भुगतान में चूक; और साख पत्र खोलने में चूक। पत्र में आगे कहा गया है:

“इस प्रकार, बेसकॉम अपने वित्तीय और भौतिक दायित्वों में चूक गया, वह भी लगातार तीन महीने की अवधि के लिए।

वहां, बेसकॉम अनुच्छेद 9.2.2 के संदर्भ में अनुमति देगा। अक्सर उन्होंने परियोजना से बिजली तीसरे पक्ष को बेचने और उसके साथ व्हीलिंग और बैंकिंग समझौता करने के लिए हमारी कंपनी पीपीए पर विवाद किया।

इसलिए हम आपसे यह पुष्टि करने का अनुरोध करते हैं कि आप हमें लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए तीसरे को बिजली बेचने की अनुमति देंगे।

4. 21.10.2011 को अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। राज्य आयोग के समक्ष उठाए गए दो मुद्दों पर, अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में फैसला सुनाया और राज्य आयोग के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत था। हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने तब एक हलफनामे का विज्ञापन किया जो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था जिसमें अपील के निर्णय के लिए सामग्री के रूप में बाद की कुछ घटनाओं को रिकॉर्ड में लाने की मांग की गई थी । और इन बाद की घटनाओं को अपीलकर्ता द्वारा ही रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई थी। इस बात पर बहस के बाद कि क्या इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने कहा कि यह एक नया मामला है जो अपील में स्वीकार्य नहीं है, अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी नंबर 1 की याचिका को खारिज कर दिया और महसूस किया कि इसकी जांच करना महत्वपूर्ण है। योग्यता के आधार पर बाद की घटनाएं। इसके बाद इसमें पीपीए के कुछ प्रावधानों और विशेष रूप से खंड 9.3.2 का उल्लेख किया गया, जो प्रतिवादी नंबर 1 के डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति से संबंधित है, और फिर निम्नानुसार जारी रखा गया:

"12.12. इस प्रकार, पीपीए को समाप्त करने के लिए, तीन महीने की लगातार अवधि के लिए भुगतान में चूक की स्थिति में, अपीलकर्ता को दूसरे प्रतिवादी को लिखित रूप में एक डिफ़ॉल्ट नोटिस देना होगा और उसे इसका समाधान करने के लिए कहना होगा। नोटिस की डिलीवरी से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों या डिफ़ॉल्ट की घटना का समाधान नहीं किया गया हो, अपीलकर्ता राज्य आयोग को सूचित करते हुए दूसरे प्रतिवादी को समाप्ति नोटिस दे सकता है। समाप्ति नोटिस की डिलीवरी पर, पीपीए समाप्त हो जाएगा।

xxx xxx xxx

12.13 माना जाता है कि, डिफॉल्ट को ठीक करने के लिए कोई नोटिस या समाप्ति नोटिस अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी वितरण लाइसेंसधारी को नहीं दिया गया है, केवल भुगतान डिफॉल्ट के बारे में 5.5.2011 को एक पत्र दिया गया है और अनुच्छेद 9.2.2 के संदर्भ में तीसरे पक्ष को अनुमति मांगी गई है। ट्रिब्यूनल के दिनांक 18.5.2011 के अंतरिम आदेश के बाद 19.5.2011 को प्रतिवादी वितरण लाइसेंसधारी को भेजा गया था"

5. 11.05.2012 को, चूंकि अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने नोटिस दिनांक 05.05.2011 की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बावजूद ब्याज के भुगतान में चूक का समाधान नहीं किया और साथ ही एक की समाप्ति भी की। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दी गई 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के बाद, अपीलकर्ता ने पीपीए को समाप्त करने का दावा किया। 11.05.2012 के पत्र में विशेष रूप से दिनांक 05.05.2011 के नोटिस का उल्लेख किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है और इसे उसके पैरा 9 में एक डिफ़ॉल्ट नोटिस के रूप में संदर्भित किया गया है जो बाद में जारी किया गया था, जिसमें उल्लिखित डिफ़ॉल्ट ठीक नहीं हुए थे और इसलिए, प्रयोग किया जा रहा है पीपीए के खंड 9.3.2 के तहत उनके अधिकारों को समाप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। केवल यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि 29.05.2012 को, ब्याज का भुगतान करने के लिए 11.05.2012 के नोटिस के "बिना किसी पूर्वाग्रह के" भाग के जवाब में, किसी भी मामले में, उक्त नोटिस से 30 दिनों के भीतर, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक राशि का भुगतान किया। रुपये का ब्याज के रूप में 3.22 लाख रु. 14.08.2012 को, इसने पहले खोले गए क्रेडिट लेटर को भी प्रतिस्थापित कर दिया और उस राशि के लिए क्रेडिट लेटर खोला जो पीपीए के अनुसार था, जैसा कि अपीलकर्ता ने तर्क दिया था।

6. इसके बाद, 21.02.2013 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने राज्य आयोग के समक्ष 2013 का ओपी नंबर 6 दायर किया, जिसमें घोषणा की गई कि अपीलकर्ता द्वारा पीपीए की समाप्ति अमान्य थी।

7. दिनांक 09.05.2013 के एक आदेश द्वारा, केंद्रीय आयोग ने सबसे पहले याचिकाकर्ता यानी अपीलकर्ता को समाप्ति नोटिस दिनांक 11.05.2012 के बाद पीपीए के निर्वाह या अन्यथा के संबंध में विवाद के निर्णय के लिए राज्य आयोग से संपर्क करने के लिए कहा।

8. 17.10.2013 को, प्रतिवादी नंबर 1 के 2013 के ओपी नंबर 6 को राज्य आयोग ने अपने फैसले दिनांक 21.10.2011 में अपीलीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए अनुमति दी थी, जिसे ऊपर निकाला गया है, यह कहने के लिए दिनांक 05.05.2011 का नोटिस एक डिफ़ॉल्ट नोटिस नहीं था या पीपीए के खंड 9.3.2 के तहत एक डिफ़ॉल्ट नोटिस नहीं कहा जा सकता था और ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि समाप्ति की अगली सूचना 05.05.2011 के आधार पर दी जाएगी। नोटिस एक डिफॉल्ट नोटिस होने के कारण कानून में वैध नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार इसने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर ओपी को अनुमति दी और पीपीए की समाप्ति को अमान्य माना।

9. 09.05.2013 आदेश और 17.10.2013 आदेश दोनों के खिलाफ दायर अपील में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, फिर से अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 21.10.2011 के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि कथित नोटिस दिनांक 05.05.2011 पीपीए के खंड 9.3.2 के अनुरूप नहीं होने के कारण, इसे डिफ़ॉल्ट नोटिस नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, इसके बाद जारी किया गया कोई भी समाप्ति नोटिस भी अमान्य है। तथ्य की बात के रूप में अंततः यह भी पाया गया कि जहां तक साख पत्र का संबंध है, चूंकि अपीलकर्ता इसके समाधान के लिए राज्य आयोग के पास नहीं गया था, इसलिए उसे राज्य आयोग के आदेशों में कोई गलती नहीं मिली और अंततः अपने निष्कर्षों का सारांश देने के बाद, दोनों अपीलें खारिज कर दीं।

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता ने हमारे समक्ष तीन बिंदु उठाए हैं। उनके अनुसार, 05.05.2011 के पत्र के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने फैसले दिनांक 21.10.2011 में यह निष्कर्ष सीधे तौर पर और पर्याप्त रूप से विवादित मामले पर नहीं था, लेकिन केवल संपार्श्विक होने के कारण, इसे न्यायिक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, किसी भी मामले में, दिनांक 05.05.2011 का नोटिस एक नोटिस था, जो काफी हद तक पीपीए के खंड 9.3.2 के अनुरूप था, और इसलिए, इसे एक डिफ़ॉल्ट नोटिस के रूप में रखा जाना चाहिए था। ऐसा होने पर, दिनांक 11.05.2012

का समाप्ति नोटिस कानून में वैध था और इसलिए, राज्य आयोग के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय भी इस संबंध में गलत हैं। उन्होंने कुछ निर्णयों का हवाला दिया, जिन पर हम विचार करेंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पीपीए के तहत प्रासंगिक अवधि लंबे समय तक बीत जाने के बावजूद, चूक जारी रही और बताई गई अवधि के लंबे समय बाद उनका समाधान किया गया।

11. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री प्रतीक्षा मिश्रा ने पहले तर्क दिया कि श्री मेहता के मुवक्किल को यह दलील देने से रोका जाना चाहिए कि तत्काल मामले में कोई पूर्व न्यायिकता नहीं थी, और यह स्वयं अपीलकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक हलफनामा दायर किया और बाद की घटनाओं पर निष्कर्ष निकालने का आह्वान किया, जो अपीलकर्ता के अनुसार, मौजूदा मुद्दे के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 21.10.2011 के फैसले के प्रासंगिक हिस्सों का भी हवाला दिया और कहा कि, किसी भी मामले में, यह कानून के अनुसार सही था। जहां तक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने का सवाल है, यह उनका मामला था कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया था और इसलिए, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था। केवल वह राशि जिसके लिए इसे खोला गया था वह पीपीए की आवश्यकता से कम थी, जब इस तरह की चूक को इंगित किया गया था, तो सुधार किया गया और 14.08.2012 के बाद का क्रेडिट पत्र पीपीए के अनुसार खोला गया।

12. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता ने स्वयं अपीलीय न्यायाधिकरण को बाद की घटना में जाने के लिए आमंत्रित किया था, जो उसके अनुसार निर्णय लेने में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। पुनर्वाद। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि, प्रतियोगिता के बाद, और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कि ऐसी बाद की घटना वास्तव में महत्वपूर्ण है और न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा, और फिर गुण-दोष के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके खिलाफ होने के लिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को अब यह तर्क देने का प्रयास करने से स्पष्ट रूप से रोका गया है कि अपीलकर्ता के अनुसार बाद की घटनाओं के माध्यम से उठाए गए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को कानून के मामले के रूप में माना जाना चाहिए, यह केवल एक संपार्श्विक मुद्दा है और इसलिए, कोई न्यायिक मामला नहीं है।

13. **पसुपुलेटि वेंकटेश्वरलु** बनाम **द मोटर एंड जनरल ट्रेडर्स** में। [1975] 3 एससीआर 958, इस न्यायालय ने याचिका दायर करने के बाद उत्पन्न होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती है। उपरोक्त निर्णय में कृष्णा अय्यर, जे. ने कहा:

"हमें लगता है कि प्रस्तुतियाँ सारहीन हैं। सबसे पहले क्षेत्राधिकार और औचित्य के साथ-साथ उन परिस्थितियों के बारे में जो कार्यवाही शुरू होने के बाद अस्तित्व में आती हैं। यह हमारे प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र का बुनियादी आधार है कि राहत का अधिकार उस तिथि से अस्तित्व में माना जाना चाहिए जिस दिन कोई मुकदमाकर्ता कानूनी कार्यवाही शुरू करता है। यह सिद्धांत भी उतना ही स्पष्ट है कि प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया की दासी है न कि रखैल। यदि कोई तथ्य, जो अदालत में आने के बाद उत्पन्न होता है और राहत के अधिकार या उसे ढालने के तरीके पर मौलिक प्रभाव डालता है, को न्यायाधिकरण के ध्यान में लाया जाता है, तो वह उस पर पलक नहीं झपकाए या घटनाओं के प्रति आंखें मूंद नहीं सकता। जो डिक्रेटल उपचार को मूर्खतापूर्ण या अयोग्य बनाते हैं । समानता प्रक्रिया के नियमों को मोड़ने को उचित ठहराती है, जहां पर्याप्त न्याय-विषय को बढ़ावा देने की दृष्टि से किसी विशिष्ट प्रावधान या निष्पक्षता का उल्लंघन नहीं किया जाता है, निश्चित रूप से, अन्य अयोग्य कारकों या उचित परिस्थितियों की अनुपस्थिति के लिए। न ही हम अद्यतन तथ्यों पर ध्यान देने की इस शक्ति पर किसी सीमा पर विचार कर सकते हैं ताकि इसे ट्रायल कोर्ट तक ही सीमित रखा जा सके। यदि मुकदमा लंबित है, तो शक्ति मौजूद है, अन्य विशेष परिस्थितियों के अभाव में कानून या न्याय में उस पाठ्यक्रम का सहारा लिया जाता है। इस बिंदु पर निर्णय असंख्य हैं, जबकि इस न्यायसंगत नियम को लागू करने की स्थितियाँ असंख्य हैं। हम इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हैं कि पक्ष द्वारा दावा किए गए अधिकार या उपाय को न्यायसंगत और सार्थक बनाने के साथ-साथ वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप कानूनी और तथ्यात्मक रूप से, अदालत इसके बाद की घटनाओं और घटनाक्रमों का सावधानीपूर्वक संज्ञान ले सकती है और कई मामलों में उसे ऐसा करना भी चाहिए। कार्यवाही की शुरुआत बशर्ते कि दोनों पक्षों द्वारा निष्पक्षता के नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए।"

इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार जब कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी भी पक्ष के आदेश पर बाद की घटना पर गौर करने का निर्णय लेता है, तो न्यायालय स्वयं सोचता है कि ऐसा करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा वह ऐसी बाद की घटना पर गौर नहीं करेगा।

14. सज्जादानशीन सईद मोहम्मद बी.ई ईडीआर (डी) बाय एलआर बनाम मूसा दादाभाई उमर और अन्य, (2000) 3 एससीसी 350 में, विचार के लिए उठे मुद्दों में से एक यह था कि वास्तव में एक मुद्दा क्या है जो सीधे और काफी हद तक मुद्दे में है, जैसा कि संपार्श्विक और आकस्मिक रूप से मुद्दे में होने का विरोध किया। विभिन्न प्राधिकारियों, अंग्रेजी और अमेरिकी दोनों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने अंततः मुल्ला के सिविल प्रक्रिया

संहिता (15 संस्करण) का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया जिसमें दो परीक्षण निर्धारित किए गए थे। एक परीक्षण यह है कि यदि मुख्य मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मुद्दा "आवश्यक" था, और निर्णय लिया गया था, तो इसे सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दे में माना जाएगा क्योंकि निर्णय, वास्तव में, ऐसे निर्णय पर आधारित था। दूसरा सिद्धांत यह है कि मुद्दे का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, मुख्य परीक्षण यह है कि क्या न्यायालय उक्त मुद्दे के निर्णय को अपने निर्णय के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक मानता है।

15. जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 21.10.2011 के फैसले से देखा गया है, अपीलकर्ता ने न केवल बाद की घटना को अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से मुद्दे के रूप में माना, जिसका संयोगवश इस आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा विरोध नहीं किया गया था। आधार यह है कि यह अपील के चरण में एक नया मुद्दा लाएगा, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी नंबर 1 की याचिका को खारिज कर दिया है, और बाद की घटनाओं की जांच की है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्वयं इस मुद्दे पर विचार किया था। .3 को उसके संज्ञान में लाई गई बाद की घटनाओं के आधार पर सीधे और तत्काल मुद्दे के रूप में उठाया गया। इसलिए, इस आधार पर भी, हमारा विचार है कि, अपीलकर्ता को ऐसी याचिका उठाने से कानून द्वारा रोके जाने के अलावा, याचिका के पास टिकने के लिए कोई आधार नहीं है।

16. अब हम श्री मेहता के निवेदन के दूसरे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। श्री मेहता ने हमें पीपीए का खंड 9.3.2 पढ़ा और तर्क दिया कि दिनांक 05.05.2011 का पत्र काफी हद तक उक्त खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और इसे उक्त खंड के तहत डिफ़ॉल्ट की सूचना माना जाना चाहिए। इस दलील की सराहना करने के लिए, पीपीए के खंड 9.3.2 को निर्धारित करने की आवश्यकता है:

> "9.3.2 निगम की डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति: उपरोक्त उप-खंड 9.2.2 में निर्धारित डिफ़ॉल्ट की घटना के घटित होने पर, कंपनी निगम को लिखित रूप में एक डिफ़ॉल्ट नोटिस दे सकती है जिसमें उचित विवरण में डिफ़ॉल्ट की घटना को निर्दिष्ट किया जाएगा डिफ़ॉल्ट नोटिस को जन्म देना, और बेसकॉम से इसका समाधान करने का आह्वान करना।
>
> इस डिफ़ॉल्ट नोटिस की डिलीवरी से 30 (तीस) दिनों की समाप्ति पर और जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत नहीं हो जाती हैं या डिफ़ॉल्ट नोटिस को जन्म देने वाली डिफ़ॉल्ट की घटना का समाधान नहीं कर लिया जाता है, कंपनी निगम को समाप्ति

नोटिस दे सकती है। कंपनी निगम को समाप्ति नोटिस देकर और आयोग को इसकी सूचना देकर इस समझौते को समाप्त कर सकती है। समाप्ति नोटिस की डिलीवरी पर यह अनुबंध समाप्त हो जाएगा।

जहां डिफॉल्ट की घटना के संबंध में डिफॉल्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसके समाधान के लिए बेसकॉम और कंपनी दोनों के सहयोग की आवश्यकता है, बेसकॉम डिफॉल्ट की घटना को ठीक करने में सक्षम बनाने के लिए सभी उचित सहयोग प्रदान करेगा।

इस खंड को पढ़ने से पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट की कोई घटना घटित होने पर, निगम को लिखित रूप में एक डिफ़ॉल्ट नोटिस भेजा जा सकता है। उपरोक्त नोटिस की आवश्यकताएं दो गुना हैं - (1) नोटिस को जन्म देने वाली डिफ़ॉल्ट की घटना को उचित विवरण में निर्दिष्ट करना, और (2) प्रतिवादी नंबर 1 को 30 दिनों की अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए कहना। डिफ़ॉल्ट नोटिस की डिलीवरी, जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों। केवल तभी कंपनी निगम को समाप्ति नोटिस दे सकती है।

17. दिनांक 05.05.2011 के पत्र को पढ़ने पर, जो स्पष्ट है वह यह है कि पत्र केवल डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के बारे में बात करता है, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 से निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए नहीं कहता है। श्री मेहता के अनुसार, यह किसी भी स्थिति में उपरोक्त खंड का पर्याप्त अनुपालन है। हम सहमत नहीं हो सकते. खंड 9.3.2 के दोनों भाग महत्वपूर्ण हैं - एक डिफ़ॉल्ट की घटना को उचित विवरण में निर्दिष्ट करता है और दूसरा, प्रतिवादी नंबर 1 को 30 दिनों की अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए कहता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पार्टियां अन्यथा सहमत हो सकती हैं, जिस स्थिति में प्रतिवादी नंबर 1 निर्धारित 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में नोटिस में उल्लिखित डिफ़ॉल्ट का समाधान कर सकता है, यह दर्शाता है कि पार्टियों ने इस भाग पर विचार किया है खंड 9.3.2 का भाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहला भाग, अन्यथा, एक समाप्ति नोटिस, खंड 9.3.2 का दूसरा भाग बिना और अधिक के सीधे जारी किया जा सकता है। यह मामला होने पर, हम श्री मेहता की इस दलील से सहमत नहीं हो सकते कि पीपीए के खंड 9.3.2 का पर्याप्त अनुपालन किया गया है।

18. श्री मेहता ने हमें समझाने के लिए हमारे सामने तीन निर्णयों का हवाला दिया कि दिनांक 05.05.2011 का पत्र पीपीए के खंड 9.3.2 का काफी हद तक अनुपालन करता है।

19. **नानी गोपाल विश्वास** बनाम **हावड़ा नगर पालिका**, [1958 एससीआर 774, में, यह न्यायालय कलकत्ता नगर अधिनियम, 1923 की धारा 299 के तहत जारी एक नोटिस से

चिंतित था। चूंकि नगर निगम अधिनियम की धारा 300 तथ्यों की ओर आकर्षित थी मामला और धारा 299 नहीं, इस न्यायालय ने माना कि भले ही नोटिस अधिनियम की धारा 299 के तहत दिया जा रहा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में, नोटिस का प्रभावी हिस्सा लोगों के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। संबंधित पक्षों का कहना है कि मांग एक परिसर की दीवार के कारण हुए अतिक्रमण को हटाने की है, जो एक संरचना है जो धारा 300 के अंतर्गत आती है। यह मामला पूरी तरह से अलग है क्योंकि कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम की धारा 300 के लिए आवश्यक सभी तथ्य यह थे कि ए परिसर की दीवार अतिक्रमण थी. यह नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया था, और तथ्य यह है कि इसे कानून के गलत प्रावधान के तहत कहा गया था, इसलिए, नोटिस के सार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

20. इसी तरह, ठाकुर प्रताप सिंह बनाम श्री कृष्ण गुप्ता और अन्य, [1955] 2 एस.सी.आर. 1029 में, इस न्यायालय ने एक नगरपालिका समिति के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े होने के लिए नामांकन पत्र भरने से निपटा। यहां फिर से, इस न्यायालय ने माना कि इस तथ्य से कि फॉर्म में "कब्जा" शब्द या तो हटा दिया गया था या खाली छोड़ दिया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी व्यक्ति का पेशा राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं में से एक नहीं है। इसलिए, यह माना गया कि फॉर्म का यह हिस्सा केवल निर्देशिका था, और उम्मीदवार के विवरण का हिस्सा है, लेकिन मामले की जड़ तक नहीं जाता है, जब तक कि पेपर में उसे सक्षम करने के लिए पर्याप्त सामग्री न हो। संदेह से परे पहचाना जाना। यह निर्णय फिर से तथ्यों पर पूरी तरह से अलग है, जैसा कि हमने ऊपर पाया है, खंड 9.3.2 का वह भाग जो प्रतिवादी नंबर 1 को 30 दिनों की अवधि के भीतर चूक को ठीक करने के लिए बुलाने से संबंधित है, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, उतना ही महत्वपूर्ण है डिफ़ॉल्ट की वे घटनाएँ जिनके घटित होने की बात कही गई है। इसलिए, पर्याप्त अनुपालन ऐसी अनिवार्य आवश्यकता का उत्तर नहीं हो सकता।

21. हमारे लिए किसी अन्य पहलू पर कुछ कहना अनावश्यक है, जिसमें देर से भुगतान और देर से साख पत्र खोलने का पहलू भी शामिल है। हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय में किसी भी स्तर पर गलती नहीं की जा सकती।

22. तदनुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं।

देविका गुजराल अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।